संख्या ए-2-1602/दस-95-24 (14)-95

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में;

1-प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण/सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2-मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3-अन्य समस्त विभागाध्यक्ष।

लखनऊ: दिनांक 1 जून, 1995

विषय :—वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

वित्त (लेखा) अनुभाग-2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की समीक्षा हेतु गठित कोष्ठक की संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय अनुलग्नक में उल्लिखित वित्तीय अधिकार उनके समक्ष अंकित अधिकारियों को प्रतिनिहित करते हैं।

2—उक्त प्रतिनिधायन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और जो विशेष मदें, अनुलग्नक में सम्मिलित हैं; उनके बारे में कालम-5 में अंकित पूर्व प्राधिकार तद्नुसार संशोधित/निरस्त समझे जायेंगे।

3—वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1, द्वितीय संस्करण (31 दिसम्बर, 1985 तक संशोधित) के सम्बन्धित विवरण-पत्र अनुलग्नक के अनुसार संशोधित समझे जायेंगे।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार वर्मा,
संयुक्त सचिव।

संख्या ए-2-1602 (1)/दस-95-24 (14)-95, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
3—निदेशक, कोषागार, उ0 प्र0, जवाहर, भवन, लखनऊ।
4—समस्त कोषाधिकारी, उ0 प्र0।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार वर्मा,
संयुक्त सचिव।

क्रम-संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जायगा	परिसीमायें	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
			विवरण-पत्र—II-मुद्रण सम्बन्धी व्यय	
2 (ख)	रु0 2.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के अल्पकालीन सूचना सम्पादित कराने के लिये निविदा सूचना स्थानीय पत्रों में देने हेतु।	प्रभागीय अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई तथा लोक निर्माण विभाग।	किसी एक मामले में 500 रु0 की सीमा तक; किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार छपाया गया कार्य आवश्यक हो। टिप्पणी-सूचना निदेशक; उ0 प्र0 द्वारा अनुमोदित दो समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाय तथा उपरोक्त अधिकारी द्वारा बिलों का सत्यापन कराया जाय।	शा0 सं0-ए-2-1913/दस-14 (16)/73, दिनांक 12-9-1973
			विवरण-पत्र—VIII-प्रकीर्ण आकस्मिक व्यय	
5	शजरा और खसरा के लिये अनुमान स्वीकृत करना।	1-अधीक्षण अभियन्ता; सिंचाई विभाग। 2-प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग।	1-आय-व्ययक में निर्दिष्ट धनराशि के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार। 2-रु0 5,000 की सीमा तक।	शा0 नि0 वि0 शासनादेश सं0-894-एच/8एच-1941, दिनांक 15 जून, 1945 तथा सं0-ए-2-1913/दस-14(16)/73, दि0 12-9-1973
			विवरण-पत्र—XI-अग्रिम धनराशियाँ	
9	स्थायी अधीनस्थ और अस्थायी अथवा कार्य प्रभारित (वर्कचार्ज्ड) अधिष्ठान के सदस्यों को उचन्त (इम्प्रेस्ट) स्वीकृत करना।	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा।	विभागीय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में 10,000 रु0 तक तथा अन्य मामलों में उस सीमा तक जो आवश्यक समझी जाय किन्तु अधिकतम रु0 2,000 तक और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-6 के पैरा 166 और 168 में दी हुई शर्तों के अधीन।	शा0सं0-ए-2-1913/दस-14 (16)/73, दिनांक 12-9-1973 तथा सं0-10368/38-4-904 (40)/74, दि0 27-9-1983
			विवरण-पत्र—XIII-अस्थायी अधिष्ठान	
8	जब स्वीकृत अनुमान में विशिष्ट व्यवस्था मौजूद हो, कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग रखे जाने की स्वीकृति देना।		इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।	शा0 सं0-ए-2-1914/दस-14 (17)/73, दिनांक 1 अगस्त 1973 शा0 सं-ए-2-1913/दस-14 (16)/73; दिनांक 12 सितम्बर, 1973 तथा शा0 सं0-10368/38-4-904 (40)/74; दि0 27 सितम्बर, 1983

1	2	3	4	5
			विवरण-पत्र—XVI-भूमि तथा भवन	
7	भवनों के निर्माण के लिये चुने गये स्थानों पर स्थित हरे या सूखे वृक्षों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा काटने की स्वीकृति प्रदान करना।	1-अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग। 2-अधिशासी अभियन्ता (सिविल) लोक निर्माण विभाग, अधिशासी, अभियन्ता, सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा।	1-पूर्ण अधिकार। 2-रु0 10,000 तक।	का0 ज्ञाप संख्या-74 सी0 वी0/तेईस पी0 डब्लू0 सी0 आई0सी0 वी0-1959 दिनांक 16 अप्रैल, 1960 शा0 सं0-ए-2-1913/दस-14 (16)/73, दिनांक 12 सितम्बर, 1973
			टिप्पणी—वन संरक्षण अधिनियम तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के प्राविधानों को ध्यान में रखा जाय।	
			विवरण-पत्र—XVII-निर्माण कार्य	
1 (क)	मूल निर्माण कार्यों के लिये परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	1-विभागाध्यक्ष (अभियन्त्रण विभागों के अतिरिक्त),	1-धार्मिक तथा पुरातत्व सम्बन्धी भवनों तथा विद्यमान आवासिक भवनों में सुधार तथा विशेष मरम्मतों के अनुमानों को अपवादस्वरूप छोड़कर, किसी एक मामले में रु0 15.00 लाख तक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन— (1) यह कि आवासिक भवन शासन द्वारा स्वीकृत मानक डिजाइन के अनुसार निर्मित किये जायेंगे और यह कि निर्माण की लागत उनसे सम्बन्धित अनुज्ञेय वित्तीय सीमाओं या समय-समय पर शासन द्वारा नियत की गई क्षेत्र सीमाओं से अधिक नहीं होगी और शर्त यह भी है कि निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि शासन द्वारा उसके व्यय की स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। (2) आवासिक भवनों में बिजली लगाने का व्यय फन्डामेन्टल रूल्स/तत्सम्बन्धी विषयक शासनादेशों में दी हुई सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये और उसमें फिटिंग्स की मात्रा सब्सीडियरी रूल्स के अनुसार होनी चाहिये। (3) अनुमान में स्थायी आवासिक तथा गैर-आवासिक भवनों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिये जो योजना के अनुरक्षण के लिये, जब वह पूरी हो जाय, अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न वर्गों के कर्मचारी वर्ग की संख्या के लिये अनुमन्य हो।	शा0 सं0 ए-3407/दस-85, दिनांक 9 दिसम्बर, 1985

			(4) ऐसे आवासिक भवन (स्थायी अथवा अस्थायी दोनों प्रकार के) जिला मुख्यालयों पर नहीं बनाये जायेंगे जो लोक निर्माण विभागों की एक स्थलीय (पूल्ड) आवास योजना के अन्तर्गत न आते हों। (5) डाक बंगले/रेस्ट हाउस का निर्माण करते समय अन्य डाक बंगलों से निकटता के सिद्धान्त का दृढ़ता से पालन किया जाएगा और उनके निर्माण के लिये शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। (6) गाड़ियों के लिये (हल्की तथा भारी दोनों प्रकार की) व्यवस्था शासन द्वारा अनुमोदित संख्या (स्केल) के अनुसार की जाएगी और क्रय के लिये आदेश देने से पहले उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी।
		2—मुख्य अभियन्ता, लो० नि० विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा० अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग	2—उपर्युक्त–1 में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रु० 2.00 करोड़ तक।
		3—अधीक्षण अभियन्ता, लो० नि० विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रा० अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग।	3—उपर्युक्त–1 में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रु० 1.00 करोड़ तक।
2	मूल निर्माण कार्य और विस्तार अथवा किसी उच्चतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल सहायक निर्माण कार्यों के लिए सामान्य परियोजना सम्बन्धी निर्माण कार्य के निमित्त ब्यौरेवार अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1—अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग,	1—निम्नलिखित मामलों में मुख्य अभियन्ता के पूर्व अनुमोदन के अधीन रु० 1.00 करोड़ की सीमा तक :— (1) ऐसे नये अथवा वर्तमान जल-मार्गों के, जिनका जल-निस्सारण शीर्ष पर, 1,000 क्यूसेक से अधिक हो, नदी नियन्त्रण के शीर्ष कार्य सम्बन्धी निर्माण कार्य। (2) ऐसे वर्तमान जल-मार्गों के, जिनका जल निस्सारण शीर्ष पर 500 क्यूसेक से अधिक हो, निर्माण अथवा कार्य में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य। (3) ऐसे जल-मार्गों के निकट, जिनका जल-निस्सारण 1,000 क्यूसेक अथवा उससे अधिक हो, नई चिनाई सम्बन्धी (मासोनरी) निर्माण कार्य अथवा वर्तमान कार्यों में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य। (4) किसी ऐसे जल-मार्ग के, जिसका क्षेत्र एक से अधिक वृत्त में व्याप्त हो, लम्बकाट में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य।

तदैव

1	2	3	4	5
			(5) ऐसी वर्तमान जल मार्ग प्रणालियों में परिवर्तन जिनमें वर्तमान जल-मार्गों के प्राधिकृत जल-निस्सारण में वृद्धि होती हो अथवा ऐसे अतिरिक्त जल-मार्गों का निर्माण जिनमें नहर के प्राधिकृत जल निस्सारण में वृद्धि करने की आवश्यकता हो। (6) किसी डाक बंगले, आवास अथवा कार्यालय से सम्बन्धित निर्माण कार्य जिसकी लागत 10,000 रुपये से अधिक हो। टिप्पणी—अधीक्षण अभियन्ता किसी ऐसी परियोजना को स्वीकृत करने के लिये सक्षम नहीं है, जो विस्तार के बिना अपूर्ण रहती हो, किन्तु जो विस्तार सहित होने पर उसकी स्वीकृति के अधिकार से बाहर हो जाती हो। उसी प्रकार वह अनुमानों को खण्डों में स्वीकृत नहीं करेगा, जिसके एक साथ होने पर उच्चतर प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो।	
		2-अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग।	2—रु0 40.00 लाख की सीमा तक विभागीय मैनुअल में उल्लिखित शर्तों के अधीन।	
4 (क)	निर्माण कार्यों के ब्योरेवार अनुमानों/ अनुपूरक अनुमानों / पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1—मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/ सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग।	1—पूर्ण अधिकार।	शा0 सं0 ए-3407/दस-85, दिनांक 9 दिसम्बर, 1985
		2—अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), लो0 नि0 विभाग, अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 अभियंत्रण सेवा/ लघु सिंचाई विभाग।	2—रु0 1.00 करोड़ की सीमा तक।	
		3—अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लो0 नि0 विभाग।	3—रु0 20.00 लाख की सीमा तक।	
		4-अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग।	4—रु0 40.00 लाख की सीमा तक।	
		5-अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग।	5—रु0 4.00 लाख की सीमा तक।	

5 (क) स्वीकृत मूल आगणन में हुए व्ययाधिक्य की स्वीकृति प्रदान करना।	1–अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग।	5 प्रतिशत की सीमा तक।	तदैव
	2–अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग।	5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक।	
	3–मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग।	7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक।	
	4–प्रशासकीय विभाग; लो0 नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग।	15 प्रतिशत से अधिक।	
		उपर्युक्त अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे— 1–व्ययाधिक्य अथवा अनुमानित वृद्धि केवल निर्माण सामग्री एवं श्रम के मूल्य से पूर्णतया सम्बन्धित हो। 2–व्ययाधिक्य के समायोजन के लिये बजट प्राविधान में बचत उपलब्ध हो। 3–व्ययाधिक्य को केवल एक बार समायोजित करने का अधिकार होगा, और यदि उसके बाद भी व्ययाधिक्य होता है तो उसके लिये शासन से संशोधित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	
5 (ख) स्वयं उसके द्वारा अथवा उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुमान के ऊपर बढ़ती स्वीकृत करना।	1–अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग / सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग।	5 प्रतिशत की सीमा तक।	
	2–अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग / सिंचाई विभाग /ग्रा0 अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग।	5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक।	
	3–मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/ सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा/ लघु सिंचाई विभाग।	7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक।	

1	2	3	4	5
		4–प्रशासकीय विभाग, लो0 नि0 विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रा0 अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग।	15 प्रतिशत से अधिक।	
			उपर्युक्त अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :— (1) स्वयं या उच्च अधिकारी द्वारा मूल स्वीकृत प्राक्कलन के ऊपर बढ़ती की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा सकेगी कि कुल अधिकता की धनराशि प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के उनके अधिकार की सीमा तक है। (2) किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित अनुमान की कोई बढ़ती धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार अधीनस्थ प्राधिकारी को न होगा। जब बढ़ती निर्माण की ऐसी उन्नत अवस्था में स्थित हो जिससे कि पुनरीक्षित अनुमान का प्रस्तुत करना प्रयोजन रहित हो जाता हो और बढ़ती का स्पष्टीकरण कार्य-समाप्ति सूचना में (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–6 के प्रस्तर–398 के अधीन) कर दिया गया हो, कार्य-समाप्ति सूचना पारित करने के उसके अधिकार, पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करने के उसके अधिकारों के समरूप ही होंगे। टिप्पणी :—(1) अधीक्षण अभियन्ता स्वीकृत मूल निर्माण कार्यों और मरम्मत पर रु0 500 की सीमा के अन्दर अधिक व्यय भी स्वीकृत अनुमान की कुल धनराशि पर विचार किये बिना पारित कर सकता है। (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–6 का प्रस्तर–398)। (2) किसी अधीक्षण अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता को किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित अनुमान से कोई भी अधिक धनराशि स्वीकृत करने का कोई अधिकार न होगा।	
6	स्वीकृत अनुमानों में प्रासंगिक व्यय के लिये की गयी व्यवस्था को किसी ऐसे अतिरिक्त/नये कार्य या मरम्मत के व्यय को पूरा करने के लिये	1–अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग।	1–पूर्ण अधिकार।	शा0 सं0 ए–3407/दस–85; दिनांक 9 दिसम्बर, 1985

1	2	3	4	5
			2-नहरों, उसकी उप शाखाओं में दरार पड़ने के कारण नष्ट हुई फसल के लिए 1,000 रु0 से अधिक का मुआवजा ।	
			3-किसी डाक बंगले, रहने के मकान अथवा कार्यालय की विशेष मरम्मत जो 1,000 रु0 से अधिक होती हो, अथवा उस भवन की डिजाइन में या ऐसे भवन के उपयोग में कोई परिवर्तन होता हो ।	
21	आवासिक भवनों के लिये बिजली सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना ।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है ।		शा0 सं0 ए-3407/दस-85, दिनांक 9 दिसम्बर, 1985
22	गैर आवासिक भवनों में बिजली सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना ।	1-मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग ।	1-रु0 1.50 लाख की सीमा तक ।	तदैव
		2-अधीक्षण अभियन्ता, सिविल व विद्युत / यान्त्रिक, लो0 नि0 विभाग तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग ।	2-रु0 50,000 की सीमा तक ।	
		3-प्रशासकीय विभाग ।	3 पूर्ण अधिकार ।	
24	भवनों के निर्माण के लिये अपेक्षित भूमि के प्राविधिक अनुमान स्वीकृत करना ।	1-अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई ।	1-पूर्ण अधिकार ।	तदैव
		2-अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो0 नि0 वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई ।	2-रु0 2.00 लाख की सीमा तक ।	
28	सूखा सहायता कार्यों के लिये प्राविधिक अनुमान स्वीकृत करना ।	1-मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई ।	1-पूर्ण अधिकार ।	तदैव

		2-अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) लो0 नि0 विभाग, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई।	2-रु0 1.00 करोड़ की सीमा तक।	
		3-अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो0 नि0 विभाग, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा/लघु-सिंचाई।	3-रु0 40.00 लाख की सीमा तक।	
		4-मण्डलों के आयुक्त।	4-रु0 1.00 लाख की सीमा तक, सामान्य दरों पर लागत की सीमा।	
30	निक्षेप कार्यों के निष्पादन की स्वीकृति प्रदान करना।	मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/सिंचाई विभाग	पूर्ण अधिकार, किन्तु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 के पैरा-392 तथा 633 से 636 तक में दी हुई प्रक्रिया अपनाई जाय।	तदैव

विवरण-पत्र-XVIII—ठेके और टेन्डर

2	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य के अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिये टेन्डर स्वीकृत करना।	1-मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा।	1-पूर्ण अधिकार।	शा0 सं0-वी0 एण्ड आर0 766-ई/190-ई-1936, दिनांक 7-10-1937
		2-अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा।	2-पूर्ण अधिकार, परन्तु रु0 1.00 करोड़ से अधिक के कार्य में मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा।	शा0 सं0-ए-1-3431/दस-14 (9) 1961, दिनांक 12-9-1961
		3-अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो0 नि0 विभाग, अधिशासी अभियन्ता/प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग।	3-रु0 40 00 लाख की सीमा तक।	शा0 सं0-ए-2-3148/दस-35-ए0 सी0 1972-शा0 नि0 वि0 (9), दिनांक 14-12-1972
		4-अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0 अभियंत्रण सेवा।	4-रु0 20.00 लाख की सीमा तक।	शा0 सं0 ए-2-448/दस-14 (11)/71, दिनांक 30 जनवरी, 1975 तथा
		5-अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, लो0 निर्माण विभाग।	5-रु0 2.00 लाख की सीमा तक।	
		6-सहायक अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा।	6-रु0 2.00 लाख की सीमा तक।	शा0 सं0-10368/38-4/904 (40)/74 दिनांक 27-9-83

1	2	3	4	5
		7—मुख्य विद्युत निरीक्षक।	7—रु0 50,000 की सीमा तक, किन्तु शर्त यह है कि क्रमांक—1 से 5 की दशा में अधिकार उस धनराशि तक सीमित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुमान की धनराशि और उसके साथ ऐसी बढ़ती जोड़कर होती हो, जिससे नियमों के अधीन स्वीकृत करने के लिये वे प्राधिकृत हों और क्रमांक 6 व 7 की दशा में टेण्डर की धनराशि स्वीकृत अनुमानों की धनराशि से अधिक न हो।	
5	बिना बयाने की धनराशि के मार्ग निर्माण हेतु रोड मेंटल से सम्बन्धित टेण्डर अपने विवेकानुसार स्वीकार करना।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।		शा0सं0—ए—2—3148/दस— 35—ए0 सी0-1972 सा0नि0वि0 (9) दि0-14-12-1972 तथा सं0-10368/38-4/904 (40)/74, दि0—27—9—83
7	मूल मरम्मतों और कार्य के समस्त मामलों में कार्य पूरा हो जाने पर ठेकेदारों को प्रतिभूति जमाओं की वापसी स्वीकृत करना।	1—अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग। 2—उप प्रभागीय अधिकारी अथवा अनुभागों के प्रभारी/सहायक अभियन्ता लो0 नि0 विभाग।	पूर्ण अधिकार। 2—ऐसे मामलों में जहां कार्य की धनराशि, ठेके स्वीकार करने के उनके अधिकारों से अधिक न हों, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड—6 के पैरा 618 के उपबन्धों के अधीन।	शा0 सं0—बी0 एण्ड आर0 240—ई/183-ई-34, दिनांक 17 अगस्त 1935

विवरण-पत्र—XX—भण्डार और सामग्री

10	औजारों और संयंत्र का क्रय और उनके लिये आवश्यक अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करना।	1—मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभि0 सेवा।	1—पूर्ण अधिकार	शा0 सं0—सा0 नि0 वि0 (आई0 बी0) मेमो सं0—1544/210—ई—1937, दिनांक 10 मई, 1939
		2—अधीक्षण अभियन्ता व कार्य अधीक्षक सिविल/विद्युत/यांत्रिक लो0 निर्माण विभाग। अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा।	2—रु0 1.00 लाख की सीमा तक।	बी0 एण्ड आर0 मेमो सं0—905 ई—दिनांक, 13—1—1939 शा0 सं0—242—एण्ड/एम0 एस0 तेइस 61/एम0 एस0 1952, दिनांक 14 अप्रैल, 1952 तथा शा0 सं0—10368/38—4—904 (40)/74, दिनांक 27—9—1983
		3—अधिशासी अभियंता, लो0 नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा।	3—रु0 20,000 की सीमा तक।	शा0 सं0—ए—2—466/दस—85, दिनांक 19 मार्च, 1985
		4—शासन के विद्युत निरीक्षक।	4—रु0 10,000 की सीमा तक।	

13 (ख)	कार्यालय फर्नीचर/फिक्सचर्स के निर्माण हेतु आवश्यक अनुमान (पुनरीक्षित अनुमान सहित स्वीकृत) करना।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।		शा0सं0-ए-2-266/दस-85, दिनांक 19 मार्च, 1985
15	निर्धारित माप (स्केल) के अनुसार तम्बुओं की खरीद और उसके लिए आवश्यक अनुमान (पुनरीक्षित अनुमान सहित) स्वीकृत करना।	1-अधीक्षण अभियन्ता व कार्य अधीक्षक, सिविल/विद्युत/यांत्रिक लो0 नि0 विभाग, अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा।	1—पूर्ण अधिकार।	शा0सं0-ए-2-1913/दस-14(16)/73, दिनांक 12-9-1973 सा0नि0वि0-894-एच-8-एच-1941, दिनांक 16-6-1945
		2-अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत/यांत्रिक, लो0 नि0 विभाग; अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा।	2—रु0 5,000 की सीमा तक।	सं-10368/38-4/904(40)/74, दिनांक 27 सितम्बर, 1983
		3-शासन के विद्युत निरीक्षक,	3—रु0 250 की सीमा तक।	सं0-बी-एण्ड-आर-शा0सं0-725-ई/163-30, दिनांक 31 अगस्त, 1930 सं0-90/171-एम0एस0 1930, दिनांक 11 फरवरी, 1931
21	औजारों और संयंत्र की मरम्मत और ढुलाई के लिये अनुमान स्वीकृत करना।	1-अधीक्षण अभियन्ता व कार्य अधीक्षक, विद्युत/यांत्रिक, लो0 निर्माण विभाग। अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा।	1—पूर्ण अधिकार।	शा0 सं0-सा0 नि0 वि0 894-एच/8 एच-1941, दिनांक 16 जून, 1945 सं0-2728-एम0एस/179-एम0एस0, दिनांक 14 अक्तूबर, 1939
		2-अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत/यांत्रिक लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा।	2—रु0 10,000 की सीमा तक	शा0सं0-ए-2-1913/दस-14(16)/73, दिनांक 12-9-1973 का0ज्ञाप सं0-2719/दो-बी-182-54, दिनांक 5-8-1955
		3-कृषि निदेशक।	3—रु0 2,000 तक।	सं0-10368/38-4/904(40)/74, दिनांक 27-9-1983
25 (क)	किसी भण्डार को (सामग्री, औजार और संयंत्र स्थल पर वस्तुएं और विघटित किये गये निर्माण कार्यों से प्राप्त सामग्री सहित) फालतू घोषित करना तथा सार्वजनिक नीलाम द्वारा उनका विक्रय स्वीकृत करना।	1-प्रमुख अभियन्ता लो0 निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग।	1—पूर्ण अधिकार।	शा0 सं0-बी0 एण्ड आर0 725-ई/163-1930, दि0 30-8-1930 सं0240-ई-1934, दि0 17-4-1935
		2-मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा।	2—रु0 5.00 लाख के पुस्तक मूल्य तक।	सं0-599-ई-बी0 आर0/तिइस-पी0 डब्लू0डी0 88-ई0बी0-आर-52, दि0 25-3-1954। सं0-ए-1-3431/दस-14 (9)/1961, दि0 12-9-1961
		3-अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा।	3—रु0 50,000 के पुस्तक मूल्य तक।	सिंचाई मैनुअल छठा संस्करण अध्याय-5 तथा शा0 सं0-894-एच-8-एच-1941, दि0 16 जून 1945।
		4-अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियन्ता सेवा।	4—रु0 5,000 के पुस्तक मूल्य तक।	

1	2	3	4	5
25(ख)	(1) किसी भण्डार को (सामग्री, औजार और संयंत्र, स्थल पर वस्तुएं और विघटित किए गए निर्माण कार्यों से प्राप्त सामग्री सहित) निष्प्रयोज्य घोषित करना।	1-प्रमुख अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग सिंचाई विभाग।	1-पूर्ण अधिकार।	
		2-मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/ सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा।	2-रु0 10.00 लाख के पुस्तक मूल्य तक।	
		3-अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा।	3-रु0 1.00 लाख के पुस्तक मूल्य तक।	
		4-अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा।	4-रु0 10,000 के पुस्तक मूल्य तक।	
	(2) उपर्युक्त घोषित निष्प्रयोज्य भण्डार को सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय करना अथवा अन्य प्रकार से नष्ट किया जाना स्वीकृत करना।	1-प्रमुख अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/ सिंचाई विभाग।	1-पूर्ण अधिकार।	
		2-मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/ सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा।	2-रु0 5.00 लाख के पुस्तक मूल्य तक।	
		3-अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा।	3-रु0 50,000 के पुस्तक मूल्य तक।	
		4-अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा।	4-रु0 5,000 के पुस्तक मूल्य तक।	
			टिप्पणी :-(1) अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इन प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग उनकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति, जिसके सदस्य क्रमशः संबंधित अधिशासी अभियन्ता जिले में तैनात वरिष्ठ सहायक अभियन्ता तथा जिला कोषाधिकारी होंगे, के माध्यम से किया जायगा।	
			(2) कृत कार्यवाही की सूचना अधीक्षण अभियन्ता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर मुख्य अभियन्ता तथा महालेखाकार, उ0 प्र0 को दी जाएगी।	
			(3) कृत कार्यवाही की सूचना अधिशासी अभियन्ता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को दी जाएगी।	

			(4) इस सम्बन्ध में शासन के विद्युत निरीक्षक एवं परिवहन आयुक्त को पूर्व से प्रतिनिहित अधिकार, जिनका उल्लेख निम्नवत् है, यथावत् बने रहेंगे :— (1) शासन रु0 2,000 के पुस्तक मूल्य तक के विद्युत निरीक्षक । (2) परिवहन रु0 10,000 के पुस्तक मूल्य तक । आयुक्त	
27	ऐसी सामग्री का (औजार और संयंत्र नहीं) जो न फालतू हो और न निष्प्रयोज्य हो, पूर्ण मूल्य तथा लागत पर सामान्य पर्यवेक्षक शुल्क जोड़कर अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण करना ।	1—अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/सिंचाई विभाग ।	1—पूर्ण अधिकार ।	बी0 एण्ड आर0 शा0 सं0—725—ई/163—1930, दिनांक 30—8—1930
		2—अधिशासी अभियन्ता लो0 नि0 विभाग/सिंचाई विभाग ।	2—किसी एक मामले में रु0 10,000 के पुस्तक मूल्य तक ।	सं0—105—आई—एम/50 बी—50—डब्लू, दिनांक 5 जनवरी, 1931
		3—उप प्रभागीय अधिकारी व सहायक अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/प्रा0 अभियन्त्रण सेवा ।	3—किसी एक मामले में रु0 2,000 के पुस्तक मूल्य तक ।	शा0सं0—ए—1—3431/दस—14 (9)/1961, दिनांक 12—9—1961
28	औजारों और संयंत्र का विक्रय स्वीकृत करना ।		इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है ।	शा0सं0—बी—4447/दस—78—1923, दिनांक 15—11—1924 और सं0—10368/38—4/904(40)/74, दिनांक 27 सितम्बर, 1983
29	स्टाक की सामग्री का, पूर्ण मूल्य पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षक शुल्क (सुपरविजन चार्जेज) शामिल करके विक्रय स्वीकृत करना ।		इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है ।	शा0 सं0—240—ई/183—ई—1934 दिनांक 17 अप्रैल, 1935 तथा सं0—10368/38—4/904 (40)/74, दिनांक 27 सितम्बर, 1983
35	स्वीकृत मात्रा से अधिक परिमाण में रेखण सर्वेक्षण (ड्राइंग सर्वेइंग) तथा गणितीय उपकरण (मैथमेटिक इन्स्ट्रूमेन्ट्स) रखना ।	1—मुख्य अभियन्ता लो0 नि0 विभाग सिंचाई विभाग/प्रा0 अभियन्त्रण सेवा 2—अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/विद्युत/यान्त्रिक, लोक निर्माण विभाग तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/प्रा0 अभियन्त्रण सेवा ।	1—पूर्ण अधिकार । 2—पूर्ण अधिकार; इस प्रतिबन्ध के साथ कि इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना मुख्य अभियन्ता को भेजी जाय ।	शा0 सं0—644/ई/100—ई—1936, दिनांक 31 मार्च, 1937 और सं0—ए—1—3431/दस—14(9)/1961, दिनांक 12—9—1961 सं0—10368/38—4/904(40)/74, दिनांक 27 सितम्बर, 1983 तथा सं0—ए—2—1913/दस—14(16)/73, दिनांक 12—9—1973

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 177 सा0 वित्त—16—8—95—(2279)—2000—1,000 (मेक0) ।